राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

क्रमांक:कार्मिक / 2018 / 1228 दिनांक: 7/3/2018

–:आदेश:–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में उर्तीण अभ्यार्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693 / 2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग जयपुर, के पत्र क्रमांक:प.1(6) प्र.स. / अनु–3 / 2018 दिनांक:05.03.2018 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्न अभ्यार्थियों को राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम– 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड़ – ।। के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक:एफ.15(1)एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक:30.10.2017 के शिडयूल VI के तहत लेवल–5 में 14600 / – (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की लिथि से उनके सम्मुख अंकित विभाग / कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतदद्वारा किया जाता है:–

S.NO.	MERIT NO	RNO	NAME	FATHER NAME	CATEGORY	DOB	NAW PADSATHAPAN
1.	14	585565	DILIP SINGH CHOUHAN	KANHEYA LAL CHOUHAN	BC	13.11.1986	TEHSIL OFFICE JAISALMER
2.	127	459691	AMIT KUMAR PRAJAPAT	JAGDISH PRASAD PRAJAPAT	BC	04.10.1991	COLLECTOR OFFICE JAISALMER
3.	205	452242	GIRIRAJ VYAS	MAHESH KUMAR VYAS	GE	24.09.1980	ELECTION SECTION (COLLECTOR OFFICE JAISALMER)
4.	256	456051	VIKRAM JOSHI	BRIJ BALLABH JOSHI	GE	11.12.1990	COLLECTOR OFFICE JAISALMER
5.	337	460413	PAWAN KUMAR	GOPI RAM	BC	09.07.1991	TEHSIL OFFICE JAISALMER
6.	474	647837	PARMESH JANGIR	LALA RAM SUTHAR	BC	01.12.1993	TEHSIL OFFICE JAISALMER
7.	711	396650	MADAN SINGH	GULAB SINGH	GE	17.11.1993	TEHSIL OFFICE FATEHGARH
8.	2235	399876	GUNESHA RAM	BABU RAM	BC	10.10.1992	ASSISTANT DIRECTOR PUBLIC SERVICES JAISALMER
9.	2478	587610	DHARMENDRA KUMAR	DEENDAYAL PUROHIT	GE	28.10.1990	ELECTION SECTION (COLLECTOR OFFICE JAISALMER)
10.	2679	586225	POONAM DAN	HUKAM DAN	BC	08.07.1992	ELECTION SECTION (COLLECTOR OFFICE JAISALMER)
11.	2838	674024	AIDAN RAM	KANWAR LAL	BC	01.01.1992	TEHSIL OFFICE POKRAN

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. उक्त नियुक्ति डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या–965 / 2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं / अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

3. ये नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पीटीशन 4043/2018 गजेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में समय–समय पर पारित आदेश/अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन होंगी। एवं इस रिट याचिका में पारित निर्णयों के तहत परिवर्तनीय होंगी।

4. उपरोक्त अभ्यार्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो,तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

6. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटीएससी ओबीसीत्रएसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक 63606--726 दिनांक: 20.10.2015, एवं प011 (204) आरएण्डप/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक:11. 11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि काई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

9. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–।। के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होगें।

10. चयनित अभ्यार्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर काई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगी।

11. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

12. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

13. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

15. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

16. संबंधित अभ्यार्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व – वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

17. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.3.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.2006,

जिला कलक्टर
जैसलमेर

13(1)एफडी/रूल्स/2003, दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

18. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
19. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
20. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
21. परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधी व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी।
22. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्याःएफ–7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके प्श्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अर्न्तगत कार्यवाही की जावेगी।
23. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः एफ–6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकःएफ–6(5)वित्त/नियम/99 दिनांकः 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
24. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
25. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(कैलाश चन्द मीना) 7/3/18
जिला कलक्टर
जैसलमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग जयपुर, के पत्र क्रमांकःप.1(6) प्र.स./अनु–3/2018 दिनांक 05.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रषित है।
2. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी, रोकड़ शाखा, (दो प्रतियों में)।
3. प्रोग्रामर, DOIT को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोट करे।
4. संबंधित नियन्त्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दसतावेजात् की फोटो प्रति भी संलग्न कर भिजवाई जा रही है। आप उपने स्तर पर भी मूल दस्तावेजत से इनकी मिलान कर लेवे एवं किसी प्रकार की विसगति/त्रुटिनजर आने पर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. संबंधित अभ्यार्थी श्री ....
को भेजकर लेख है कि अपना मेडिकल मुआयना मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से कराकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र के साथ अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।
7. निजी सहायक जिला कलक्टर, जैसलमेर।

जिला कलक्टर
जैसलमेर